


14.10.25

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।
 प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया
 कि वादी लम्बे समय से अनुपस्थित हैं। अतः बारिज फर्मावे।
 पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण प्रतिवादी 2,4
 की नामिल शेष है। वादी अधिवक्ता 23.9.25, 29.9.25
 व आज भी अनुपस्थित है। वादी अधिवक्ता के दावों लगावट
 मंडे व बावजूद इसके कोर्ट उपस्थित नहीं हुआ जितने चाहिए
 है कि वादी अपने वाद के प्रारंभिक नहीं हैं तथा वाद-चलन
 नहीं चाहते हैं।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत
 अदम हाजरी - अदम देखी में बारिज किया जाता है। निर्दिष्ट
 स्ट्रेडजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हाफ
 नम्बर से कम हो।


 (अबुला साई हुक)
 IAS